

RBE No.139/2019



PCPO's Sl.No.168/2019

No. E/254/O/ECR/HJP

Dated:-25.09.2019

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण /पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/ प्रशासन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी/ मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/ समस्तीपुर/ हरनौत।
7. Sr.DPO/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उच महाप्रबंधक/ विधि/ पटना।
9. प्राचार्य/ क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/ मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/ कार्याधी/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

विषय : Language of Question Papers for GDCE – Clarification.

संदर्भ : Railway's Boards Lt.No.E(NG)/2018/PM 1/4 Dated: 21.08.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रोत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.


25.9.19
(सौरभ सावर्ण)

वकाधि/ ई.एस.एम
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/ हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव/ ईसीआरकेयू/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
2. महासचिव/ एस0.सी0./ एस0.टी0./ एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.), पू.म.रे/ हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ ओ.बी.सी.एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

सूत्रासन) कार्यालय
मध्य रेल, हाजीपुर

RBE No 139/2019

28 AUG 2019

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

रेलवे बोर्ड का पत्र प्राप्ति सं. 20

No.E(NG)I/2018/PM 1/4

New Delhi, dated August 21, 2019

The General Managers
All Zonal Railways &
Production Units.

(as per standard mailing list)

072198

28 AUG 2019

Sub: Language of Question Papers for GDCE – Clarification.

Instruction regarding introduction of 100% objective type Question paper in Departmental selections were issued vide Boards' letter of even number dated 14.12.2018, followed by detailed clarificatory instructions dated 14.06.2019 regarding implementation thereof.

One of the Zonal Railways viz. South Central Railway has raised the issue as to the languages in which the question papers for holding OMR based written examination are to be set for GDCE examination.

The matter has been considered, and it is pointed out that the catchment area/eligibility zone of consideration for General Departmental Competitive Examination (GDCE) is restricted solely to serving Railway employees. Further, all departmental promotions examinations for serving employees, are set in Hindi and English only. Accordingly, there is no necessity for a vested right for GDCE question papers (where such GDCE is conducted separate from the examination for Direct Recruitment from open market) to be set in languages other than Hindi and English. Railway & PUs may be guided accordingly. Past cases/cases already decided otherwise need not be reopened.

This disposes of South Central Railway's letter No.RRC/SCR/GDCE/01/2018/WE dated 22.07.2019, addressed to Chairman, RRB/Ajmer, copy endorsed to EDE(RRB), Railway Board.

Hindi version will follow.

उपरोक्त

सचिव

26/8/19

सूत्रासन
सूत्रासन प्रशासन
मध्य रेल/आईआर
उप सूत्रासन/राज

(D. Joseph)

Joint Director Estt. (N)
Railway Board

No.E(NG)I/2018/PM 1/4

New Delhi, dated August 21, 2019

18/8/2019

सूत्रासन
सूत्रासन प्रशासन
मध्य रेल/आईआर
उप सूत्रासन/राज
सूत्रासन ESM
सचिव
मध्य रेल (आईआर)
29/8/19

...2/-

एक (प्रशासकीय) कार्यालय
दक्षिण मध्य रेल, हाजीपुर


35 29 AUG 2019

072454
04 SEP 2019
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

आर.बी.ई. सं.139/2019

सं.ई(एनजी)I-2018/पीएम 1/4

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां
(मानक डाक सूची के अनुसार)



नई दिल्ली, दिनांक: 21.08.2019

विषय: सामान्य विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा (जीडीसीई) में प्रश्न-पत्रों की भाषा के बारे में स्पष्टीकरण।

विभागीय चयनों में 100% वस्तुनिष्ठ किस्म के प्रश्न-पत्र शुरू करने के बारे में बोर्ड के दिनांक 14.12.2018 के समसंख्यक पत्र के तहत अनुदेश जारी किए गए थे और इसके बाद तत्संबंधी क्रियान्वयन के बारे में दिनांक 14.06.2019 को विस्तृत स्पष्टीकरण अनुदेश जारी किए गए थे।

एक क्षेत्रीय रेलवे यथा दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है कि सामान्य विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा के लिए ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा के प्रश्न-पत्र किन भाषाओं में तैयार किए जाएंगे।

इस मामले पर विचार किया गया है और यह ध्यान दिलाया गया है कि सामान्य विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा (जीडीसीई) के लिए विचारार्थ कैचमेंट क्षेत्र/अर्हता जोन पूरी तरह से सेवारत रेल कर्मचारियों तक ही सीमित है। इसके अलावा, सेवारत कर्मचारियों के लिए सभी विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र केवल हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं। तदनुसार, हिंदी और अंग्रेजी से इतर भाषाओं में सामान्य विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा के प्रश्न-पत्र तैयार करने के निहित अधिकार की आवश्यकता नहीं है (जहां इस प्रकार की सामान्य विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं खुले बाजार से सीधी भर्ती की परीक्षाओं से इतर आयोजित की जाती हैं)। रेलों और उत्पादन इकाइयों को तदनुसार निर्देशित किया जाए। पिछले मामलों/पहले से अन्यथा विनिश्चित किए जा चुके मामलों को फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है।

इससे अध्यक्ष, आरआरबी/अजमेर को संबोधित और कार्यपालक निदेशक स्थापना (आरआरबी) को पृष्ठांकित दक्षिण मध्य रेलवे के दिनांक 22.07.2019 के पत्र सं.आरआरसी/एससीआर/जीडीसीई/01/2018/डब्ल्यूई का निपटान हो जाता है।

संयुक्त निदेशक
मुकाधि प्रशा
मुकाधि/आईआर
मुकाधि/राज
मुकाधि/रा
मुकाधि/आईआर
ESM

08/08/19

डी जोसफ

संयुक्त निदेशक स्थापना (एन)
रेलवे बोर्ड

सं.ई(एनजी)I-2018/पीएम/1/4

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन, कमरा नं0 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन, कमरा नं0 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

नई दिल्ली, दिनांक: 21.08.2019

Handwritten signatures and dates: 11.09.2019, 13/9